

राजस्थान सरकार
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प.6§13§राज-6/99/13

जयपुर, दिनांक:- 13.5.99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व § कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन § नियम, 1970 के नियम-7§2§ख§ के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं इसद्वारा निर्देश देती है कि राज्य के समस्त जिलों हेतु भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किये जाने संबंधी घोषणा की अवधि 15 दिन से कम करके 7 दिन किया जाता है ।

यह अधिसूचना दिनांक 01 मई, 1999 से 31 जुलाई, 1999 तक प्रभावी रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञासे,

§ संजय दीक्षित §
विशेष शासन सचिव, राजस्व

राजस्थान सरकार
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प.6§13§राज-6/99/14

जयपुर, दिनांक:- 13.5.99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व § कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन § नियम, 1970 के नियम 13 के उपनियम §4§ के परन्तुक के अनुसरण में राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं निर्देश देती है कि समस्त जिलों में आवंटन प्रयोजन के लिए आवंटन सलाहकार समिति की बैठक पंचायत मुख्यालय अथवा गिरफावर सर्किल मुख्यालय, जिनमें आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि स्थित है, पर होगी ।

यह अधिसूचना मई 01, 1999 से 31 जुलाई, 1999 तक प्रभावी रहेगी ।

राज्यपाल की आज्ञासे

§ संजय दीक्षित §
विशेष शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव/मुख्यमंत्री/राजस्वमंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्व ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मद्रणालय जयपुर को राजपत्र विमोक्षण दिनांक 13-5-99 में प्रकाशनार्थ ।
6. "राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8. उप निबन्धक & वित्त एवं लेखा & राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली ।

सहायक विधि प्रास्थकार

भनोज